न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 02/2021 जीसीएमएस नं.:– 2021/40

1. भीमसैन पुत्र मोतीराम जाति जाटव निवासी ग्राम विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर

_____ ——————————प्रार्थी

बनाम

राज0 राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर

_____ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः– श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
पैरोकार सरकार, अप्रार्थी की ओर से

दिनांक – 03.06.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 146 रकवा 3 वीघा 13 विस्वा व. 147 रकवा 1 वीघा 06 विस्वा स्थित ग्राम विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार अंकित रहा। उक्त आराजी खसरा नम्बर को नक्शा अक्स में 146 व 147 के रूप में अंकित की गई। जिसकी प्रतिलिपि पटवारी हल्का विपरपुर द्वारा दिनांक 17.07.2023 को जारी की गई। प्रार्थी को जुलाई 2023 को ज्ञान हुआ कि खसरा नम्बर 146 में सडक को तरमीम न करते हुए दो अलग–अलग ख.नं. 146/929 रकवा 0.9231 है0 प्रार्थी के हक में कायम किया गया जिसमें से खसरा नम्बर 146 रकवा 0.2150 है0 चारागाह कायम करते हुए अलग नम्बर बना दिया और ख.नं. 147 ग्राम विपरपुर में से दो ख. नं. 147/930 रकवा 0.3288 है0 प्रार्थी के हक में एंव 147 रकवा 0.0885 चारागाह बना दिया जबकि इस तमाम कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कोई मौका नही दिया। पुराना खसरा नम्बर 146 रकवा 3–13 बीघा एंव ख.नं. 147 रकवा 1–06 बीघा के रकवे को कम करने एंव खसरा नम्बर 146 रकवा 0.2150 है0 व 147 रकवा 0.0885 है. के रूप में चारागाह दर्ज करने का अधिकार राज0 सरकार को नही था जो एक लिपिक त्रुटि और शुद्ध किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के मूल ख.नं. 146 में से जो दो खसरा नम्बर 146/929 रकवा 0.9231 है0 व खसरा नम्बर 146 रकवा 0.2150 है0 और ख.नं. 147/930 रकवा 0.3288 है0 एंव 147 रकवा 0.0885 है0 को एक साथ मिलाकर सडक की तरमीम कर सही किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 1339 दिनांक 11.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके तहत ख.नं. 146/929 रकवा 0.9231 है0 व ख.नं. 147/930 रकवा 0.3288 है0 वाके ग्राम विपरपुर प्रार्थी भीमसैन पुत्र मोतीराम की खातेदारी में दर्ज बताया है। ख.नं. 146/930 व ख.नं. 147/930 में से आम रास्ता निकल रहा है जो ख.नं. 289 व 147 गै0मु0 रास्ता को जोडता हुआ बताया है। राजस्व नक्शे में उक्त रास्ता की तरमीम नही होना बताया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए ख.नं. 146/929 एंव 147/929 में से रास्ता की तरमीम करने का कथन किया।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान तहसीलदार मनियां से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ख.नं. 146 व 147 की किस्म चारागाह दर्ज होना कथन करते हुए चारागाह भूमि से रास्ता दर्ज करने के अधिकार इस न्यायालय को नही होना कथन किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल नक्शा ट्रेस ग्राम विपरपुर जारी दिनांक 24.02.2004 एंव नकल नक्शा ट्रेस जारी दिनांक 17.03.2023 पेश की है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत् 2058–60, 2065–68 तथा भोमिया शीट की प्रति पेश की है। प्रार्थी ने नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 24.02.2004 में लाल स्याही से बिन्दुवार लाईन खिची होने के आधार पर वर्तमान नक्शे में रास्ता दर्ज कराना चाहा है। जिस का कि पृथक से कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। लाल स्याही से बिन्दुवार लाईन को राजस्व नक्शे में रास्ते की तरमीम नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि जो तरमीम प्रार्थी द्वारा चाही गई है वह गत राजस्व रिकॉर्ड में कभी रही हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर